

पत्रांक : 183/अधिसूचना/विभाग/2016-17

दिनांक : 20/10/2016

विषय : कालिन्दीपुरम के राधाकृष्ण में 15 इकाओं के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य की निविदा धनांक रु 29,31,482.21 की रवीकृति आपके पक्ष में सर्वनिम्न होने के कारण उपर्युक्त महोदय द्वारा दिनांक 08.10.2016 को प्रदान की गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त रवीकृत निविदा धनांक रु 29,31,482.21 का 10% जमानत धनराशि धनांक रु 2,93,200/- N.S.C./F.D.R/ C.D.R/ Cash के रूप में जमा करा दें। धनराशि संख्या-102286-355/स्लम/73 एवं दिनांक 12.06.2006 आयुक्त स्लम उपाय इलाहाबाद के अनुसार रु 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराई।

यदि पत्र प्राप्त के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/ C.D.R/ Cash के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरदर धनराशि को जमा कर लिया जाएगा साथ ही धन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 संपादित उपाय 2009 के अनुसार रु 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पूर्वाधिकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का गुणवत्ता नहीं किया जाएगा। निम्न उपर्युक्त की भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को धन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरक्षित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
4. ठेकेदार को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1952 प्रोविडेंट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान ठेकेदार को निम्नलिखित उपाय लोक निर्माण विभाग के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
5. षष्ठ कटौतिधारा उपाय लोक निर्माण विभाग के नियमों के अन्तर्गत करना होगा।
6. ठेकेदार को नियमानुसार लेबर रीस आदि का भुगतान करना होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि : 20/10/16
कार्य समाप्त की तिथि : 21/02/17

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रतिनिधि :-

1. उपरोक्त महोदय को सूचनाई।

2. निवेदन को सूचनाई।

3. मुख्य अधिवासी को सूचनाई।

4. उप श्रमसुचक, इलाहाबाद, 9 न्यू सोवियत, इलाहाबाद को सूचनाई।

5. सहयक अधिवासी/आवर अधिवासी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महोदय,
अधिसूचना अधिनियम,
इलाहाबाद

अधिसूचना अधिनियम,
इलाहाबाद